कार्यालय जिला पंचायत राज अधिकारी,पिथौरागढ़।

पत्रांक : 1165/पं.रा.वि./जि.यो./क्षे.पं.प्र.वि.स्वी./2024–25 दिनांक : 18/12/2024

कार्यालय ज्ञाप।

जिलाधिकारी कार्यालय के पत्र संख्या : 203/जि.यो.24–प्र.वि.स्वी./2024–25 दिनांक : 27जुलाई,2024.(छाया प्रति संलग्न) के क्रम में जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024– 25 में सी.सी. मार्ग एवं बटिया निर्माण मद के अंतर्गत अनुमोदित परिव्यय से प्रथम किश्त की धनराशि वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति सहित आवंटित हुई है। क्षेत्र पंचायत/(विकास खंड)मूनाकोट को जिन कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था बनाया गया है उन कार्यों हेतु तालिका के कॉलम 10 के सापेक्ष कॉलम 14 की धनराशि विकास खण्ड कार्यालय द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये बैंक खाते में आर.टी.जी.एस. द्वारा हस्तांतरित की जा चुकी है। जिला योजना की अवशेष धनराशि आवंटन प्राप्त होने के पश्चात् कार्यदायी संस्था द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र/अन्य वांछित अभिलेख उपलब्ध कराने के बाद हस्तांतरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

S.N	योजनाओ का नाम	वि.ख.	कार्य. संस्था	कार्य स्वीकृति का वर्ष	कार्य की लागत (लाखरु.में)	कार्य हेतु अनुमोदित धनराशि				कार्य हेतु हस्ता. प्रथम किश्त की धनराशि				अवशेष धनराशि (लाख रु.में)
						सामान्य (007)	एस.सी. एस.पी. (030)	टी.एस.पी. (031)	योग	सामान्य (007)	एस.सी. एस.पी. (030)	टी.एस.पी. (031)	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ग्रा.प.मजिरकांडा अ.जा.बस्ती मे सपर्क सी.सी.मार्ग व टाईल्स(एस.सी.पी.)	MKT	VK	24-25	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00
2	ग्रा.प.गौडीहाट मे आतरिक सपर्क सी.सी.मार्ग (एस.सी.पी.)	MKT	VK	24-25	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00
3	मर्सोली मे सी.सी.सपर्क मार्ग	MKT	VK	24-25	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00
4	मुख्य सडक से मढसौन तक सपर्क सी.सी.मार्ग	MKT	VK	24-25	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00
5	ग्रा.प.मूनाकोट मे आतरिक सी.सी.टाईल्स मार्ग	MKT	VK	24-25	3.00	3.00	0.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	2.00	1.00
	योग				**15.00**	**9.00**	**6.00**	**0.00**	**15.00**	**6.00**	**4.00**	**0.00**	**10.00**	**5.00**

जिला योजना वर्ष 2024–25 में अनुमोदित उक्त कार्यों के संपादन हेतु खण्ड विकास अधिकारी–मूनाकोट द्वारा उपलब्ध कराये गये आगणनों के अनुसार अनुमोदित कार्यों हेतु मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं. 624 दि. 24.03.2008 व सचिव,रा.यो.ओ. नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन के अ.शा.पत्र संख्या : 501 दि. : 08अप्रैल,2024 एवं अपर सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या : 2185631 दिनांक : 20जून,2024 में निहित प्राविधानों के अनुसार निम्न शर्तो व प्रतिबंधों के अनुसार व्यय की जायेगी।

1–उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा वर्ष 2024–25 हेतु स्वीकृत कार्यों पर ही किया जाये। व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अंतर्गत किया जाये, जिनके लिये यह स्वीकृति जारी की जा रही है तथा जिन योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त है। धनराशि का अन्यत्र विचलन की दशा में खण्ड विकास अधिकारी–मूनाकोट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

2–उक्त व्यय में बजट मैनुअल वित्तीय हस्त पुस्तिका टैण्डर/कोटेशन विषयक नियम तथा शासन द्वारा मितव्ययता के विषय में समय–समय पर जारी आदेशों का पालन किया जाये।

3–स्वीकृत धनराशि के अंतर्गत ही व्यय किया जायेगा, व्ययाधिक्य किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4–जिन कार्यों का प्राविधान स्वीकृत विस्तृत आगणन में नहीं है उन कार्यों पर न तो कोई व्यय किया जाये और न ही कोई वित्तीय वायदा किया जाये।

5–उक्त धनराशि का व्यय मानकों के आधार पर ही किया जायेगा तथा योजनाओं की वित्तीय व भौतिक प्रगति का विवरण शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जायेगा। कार्य की गुणवत्ता हेतु कार्यदायी संस्था के अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

6–प्रश्नगत कार्यो के विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति निर्गत करने के उपरांत कार्य प्रारंभ किये जायेंगे एवं तत्पश्चात् ही उन कार्यों पर व्यय किया जायेगा।

7–इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में किसी प्रकार का अनाधिकृत व्यय न किया जाये। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाये।

8–उक्त धनराशि का व्यय जिला योजना समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों हेतु अनुमोदित लागत सीमा में निर्धारित/आवंटित परिव्यय के अंतर्गत ही किया जाये।

9–जिला योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों को प्रारंभ कराने से पूर्व एवं कार्य समाप्ति के पश्चात् फोटोग्राफ्स भविष्य में अवलोकन हेतु सुरक्षित रखे जायें तथा उनकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराई जाये तथा नियमानुसार भुगतान किया जाये तथा सभी अभिलेख खण्ड विकास अधिकारी–मूनाकोट के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायें।

10–उत्तराखण्ड शासन वित्त (वे.आ.–सा.नि.)अनुभाग–7 के पत्र संख्या : 129/XXXVII(7)32/2007 दिनांक : 14जुलाई,2017 द्वारा जारी उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति(प्रॉक्यूरमेंट)नियमावली 2017 का अनुपालन करते हुए निर्माण एजेंसी से एम.ओ.यू. अवश्य किया जाये।

आदेश संख्या : 475/XXXVI41(1)2008 दिनांक : 15.12.2008. के अनुसार निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण एजेंसी से एम.ओ.यू. ... के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

11– जिला योजना एक वार्षिक योजना है अतः किसी भी दशा में वर्तमान वित्तीय वर्ष के अंत में अवशेष धनराशि को बुक ट्रांसफर के माध्यम से सुसंगत प्राप्त लेखा शीर्षक में जमा किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इसके साथ ही संबंधित विभाग द्वारा वास्तविक व्यय को पृथक–पृथक राजस्व–पूंजीगत मदों के अन्दर वर्गीकृत किया जायेगा।

PTO

जिला पंचायत राज अधिकारी
पिथौरागढ़

Scanned with OKEN Scanner